भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 453
21.07.2026 को उत्तर के लिए नियत

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन

453. **श्रीमती संजना जाटवः**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए ऐसे सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की संख्या कितनी है जो गाड़ियों को चार्ज करने में सक्षम हैं और फास्ट चार्जिंग सुविधाओं से लैस हैं,
(ख) निजी इलेक्ट्रिक वाहनों में 'रेज एंग्जायटी' (एक बार चार्ज करने पर सीमित दूरी तय होने की चिंता) को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ग) पीएम ई-ड्राइव योजना से इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बाहर रखने का तर्कसंगत आधार क्या है;
(घ) क्या सरकार ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि विगत दो वर्षों के दौरान पीएम ई-ड्राइव के अंतर्गत प्रस्तावित लाभों का किसी भी बस द्वारा उपयोग नहीं किया गया है;
(ङ) यदि हाँ, तो क्या उक्त गाड़ियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई समीक्षा अथवा परामर्श किया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) : बीएचईएल पोर्टल के अनुसार, देशभर में कुल 52,718 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हैं, जिनमें से 16,561 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन कारों के लिए द्रुत ईवी चार्जर से सुसज्जित हैं।

(ख) : सरकार ने निजी इलेक्ट्रिक वाहनों में रेंज एंग्जायटी (बैटरी खत्म होने की चिंता) को दूर करने के लिए कई कदम उठाए हैं:

(i) भारी उद्योग मंत्रालय ने देशभर में, विशेष रूप से शहरों और राजमार्गों पर, सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस) स्थापित करने के लिए

फेम-II स्कीम के तहत ₹912.50 करोड़ तथा पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत ₹2,000 करोड़ का प्रावधान किया है।

(ii) विद्युत मंत्रालय ने "इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना एवं संचालन हेतु दिशा-निर्देश, 2024" जारी किए हैं, जिनमें बैटरी स्वैपिंग तथा चार्जिंग स्टेशनों सहित परस्पर-संगत और एकीकृत चार्जिंग नेटवर्क के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं।

(iii) ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना अननुज्ञप्त गतिविधि है, जिससे निजी उद्यमियों के लिए चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना करना अधिक सरल हो गया है।

(ग) : ऑटोमोबिल एवं ऑटो संघटकों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई-ऑटो) स्कीम के तहत कारों को भी शामिल किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत एएटी वाहनों (जिसमें इलेक्ट्रिक कारें (ई-चौपहिया) भी शामिल हैं) की निर्धारित वृद्धिशील (इन्क्रीमेंटल) बिक्री पर चयनित अग्रणी मूल उपकरण निर्माताओं को 13% से 18% तक का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है।

(घ) और (ङ) : पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत 14,028 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती के लिए ₹4,391 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इनमें से कुल 13,800 इलेक्ट्रिक बसें सात शहरों–दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे और सूरत–को आवंटित की गई हैं। इन 13,800 इलेक्ट्रिक बसों के लिए परिचालकों के चयन की निविदा प्रक्रिया भी 30.12.2025 (10,900 इलेक्ट्रिक बसों के प्रथम चरण के लिए निविदा प्रक्रिया) और (2,900 इलेक्ट्रिक बसों के लिए द्वितीय चरण की निविदा प्रक्रिया) 27.05.2026 को संपन्न हो गई है।

30.06.2026 की स्थिति के अनुसार, अहमदाबाद, हैदराबाद और सूरत द्वारा कार्यादेश (एलओए) जारी किए जा चुके हैं। हैदराबाद को आवंटित 2,000 इलेक्ट्रिक बसों में से 915 बसों के लिए तथा सूरत को 600 इलेक्ट्रिक बसों के लिए रियायत समझौतों (सीए) पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, जम्मू-कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों में परिचालन के लिए 200 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

इन बसों की शीघ्र तैनाती सुनिश्चित करने के लिए कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) और भारी उद्योग मंत्रालय राज्य सरकारों तथा राज्य परिवहन उपक्रमों (एसटीयू) के साथ नियमित रूप से परामर्श और समीक्षा बैठकें आयोजित कर रहे हैं।

(च) : इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित स्कीम कार्यान्वित की हैं:

(i) भारत में (हाइब्रिड एवं) इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम चरण-II : सरकार द्वारा इस स्कीम का कार्यान्वयन 01.04.2019 से 31.03.2024 तक पाँच वर्ष की अवधि के लिए ₹11,500 करोड़ के कुल बजटीय प्रावधान के साथ किया गया। इस स्कीम के अंतर्गत ई-दुपहिया, ई-तिपहिया एवं ई-चौपहिया के लिए मांग प्रोत्साहन तथा ई-बसों और इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए अनुदान प्रदान किया गया। फेम इंडिया स्कीम -चरण-II के अंतर्गत ई-दुपहिया, ई-तिपहिया एवं ई-चौपहिया सहित लगभग 16.72 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार, स्कीम के अंतर्गत 5,197 इलेक्ट्रिक बसें (ई-बसें) तैनात की जा चुकी हैं। साथ ही, देशभर में इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए योजना के अंतर्गत ₹912.50 करोड़ की राशि आबंटित की गई।

(ii) भारत में ऑटोमोबिल और ऑटो संघटक उद्योग के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई-ऑटो) : सरकार ने 23 सितंबर 2021 को भारत में ऑटोमोबिल और ऑटो संघटक उद्योग के लिए 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ ईवी सहित उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इस स्कीम को अधिसूचित किया ।

(iii) राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम : सरकार ने 09.06.2021 को देश में को 18,100 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ देश में एसीसी के निर्माण के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी। इस स्कीम का उद्देश्य एसीसी बैटरी के 50 गीगा वाट घंटा के लिए प्रतिस्पर्धी घरेलू विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है।

(iv) पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम: ₹10,900 करोड़ के परिव्यय वाली इस स्कीम की अधिसूचना 29.09.2024 को जारी की गई। इस स्कीम के अंतर्गत ई-दुपहिया, ई-तिपहिया, ई-ट्रक, ई-बस तथा ई-एम्बुलेंस सहित लगभग 28.30 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, इस स्कीम में ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (ईवीपीसीएस) की स्थापना तथा परीक्षण एजेंसियों का स्तरोन्नयन भी शामिल है। स्कीम के अंतर्गत 14,028 ई-बसों की तैनाती के लिए ₹4,391 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसमें से 13,800 ई-बसें चार मिलियन (40 लाख) से अधिक जनसंख्या वाले सात शहरों नामतः दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे तथा सूरत को आवंटित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, जम्मू एवं कश्मीर के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 200 ई-बसों को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, अखिल भारतीय स्तर पर ईवीपीसीएस की स्थापना के लिए ₹2,000 करोड़ आवंटित किये गए है।

(v) पीएम ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) स्कीम : 28.10.2024 को अधिसूचित इस स्कीम का परिव्यय 3,435.33 करोड़ रुपये है और इसका उद्देश्य 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती का समर्थन करना है। इस स्कीम का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों द्वारा चूक के मामले में ई-बस ऑपरेटरों को भुगतान सुरक्षा प्रदान करना है।

(vi) भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए स्कीम (एसपीएमईपीसीआई) को भारत में इलेक्ट्रिक कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 15 मार्च 2024 को अधिसूचित किया गया था। इसके लिए आवेदकों को न्यूनतम 4150 करोड़ रुपये का निवेश करना और तीसरे वर्ष के अंत में न्यूनतम 25% डीवीए और पांचवें वर्ष के अंत में 50% का डीवीए प्राप्त करना अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित पहलें भी की गई हैं :-

(i) इलेक्ट्रिक वाहनों तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी की दर घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है।

(ii) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की है कि बैटरी चालित वाहनों को हरे रंग की पंजीकरण (ग्रीन) नंबर प्लेट प्रदान की जाएगी तथा उन्हें परमिट संबंधी आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी।

(iii) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ईवी पर सड़क कर में छूट प्रदान करने के संबंध में परामर्श जारी किया है, जिससे ईवी की प्रारंभिक खरीद लागत में कमी लाने में सहायता मिलेगी।

****